

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री सुनील पंवार (आर.ए.एस.)

प्र0स0 - 47/2020

उनवान

1 रामप्रसाद पिता रामनिवास ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.

(प्रार्थी)

बनाम

1. चेतन पिता लादु कुमावत उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
2. गजराज सिंह पिता कान सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
3. गोपाल पिता नन्दा ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
4. महावीर पिता रूगनाथ ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री लालाराम गुर्जर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 16.12.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 09.07.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नई राज्यास पटवार मण्डल देवरिया भू0अ0नि0 अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 261 के आ0न0 301 रकबा 0.45 हैक्टर, व खाता संख्या 260 के आराजी संख्या 301/1057 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 09.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 16.12.2020 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नई राज्यास पटवार मण्डल देवरिया भू0अ0नि0 अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 261 के आ0न0 301 रकबा 0.45 हैक्टर, व खाता संख्या 260 के आराजी संख्या 301/1057 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील पंवार)

उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा